फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

सादराम
बनाम
हरीराम वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 31 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 85/2020 बअनवान हरीराम बनाम सादराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई। मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया, जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरित होने से विधि की दृष्टि में दूषित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 01 की पिढियों से कब्जा सुदा पैतृक भूमि चली आ रही है। अपीलाधीन आराजी में अपीलांट अपने मकान का निर्माण करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। विद्वान अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन का जवाब दिनांक 14.09.2021 को पेश किया गया उसके बावजूद आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया। उभयपक्ष को सुने बिना हस्तगत अपील में किसी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट की अपील को एडमिशन स्टेज पर खारिज की जाती है तथा अंतर्गत धारा 225 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए अधिकतम एक माह निस्तारण करे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	